प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 35 सन 2021
अनवान :–

1. जयलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुल्तान पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. बृजलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 06/10/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 141 / 128 की कुल 7.5270हैक्ट भूमि प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण बृजलाल, बुधराम पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम जयलाल , सुलतान पुत्र भंवरलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम जयलाल , सुलतान पुत्र भंवरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 141 / 128 की कुल 7.5270हैक्ट भूमि प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थीगण का नाम जयलाल , सुलतान पुत्र भंवरलाल दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम बृजलाल , बधुराम पुत्र भवंरलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम बृजलाल , बधुराम पुत्र भवंरलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है प्रार्थीगण के नामों के सम्बध में संरपच ग्राम पंचायत के द्वारा भी तस्दीक की गई है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के अनुसार प्रार्थीगण का नाम बृजलाल , बधुराम पुत्र भवंरलाल होना प्रतीत होता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 141/128 की कुल 7.5270हैक्‍ भूमि में प्रार्थीगण का नाम जयलाल , सुलतान पुत्र भंवरलाल दर्ज के स्थान पर जयलाल उर्फ बृजलाल , बुधराम उर्फ सुल्तान पुत्र भंवरलाल संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट श्योरानी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 43 दिनांक :- 6/10/2021

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 35 / 2020 अनवानी जयलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :- अनवान :-

1. जयलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुल्तान पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. बृजलाल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में दिनांक 06.10.2021 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 141 / 128 की कुल 7.5270हैक्‍ भूमि में प्रार्थीगण का नाम जयलाल , सुलतान पुत्र भंवरलाल दर्ज के स्थान पर जयलाल उर्फ बृजलाल , बुधराम उर्फ सुल्तान पुत्र भंवरलाल संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट श्योरानी

Scanned with CamScanner